5/11/25

पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०।
मूल वाद पत्र नोटप्रैस के आधार
पर खारिज किया जा चुका है। प्रा०
पत्र 212 RTI का आगे चलाने का
कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रा०
इसी स्तर पर खारिज की जाती
है। पत्रा० फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो। [signature]